



कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात।

Email.Id-kanpurdehat.dlsagmail.com

Phone No.- 05111-299253

प्रेस विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु

माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात/जनपद न्यायाधीश के आदेश सं०-21 दिनांक 06.02.2025 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवा विनियम 2010) के अनुक्रम में निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदत्त किये जाने हेतु पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जानी है, चूंकि पूर्व पैनल अधिवक्ताओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है व नये पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति समाज के निर्धन, असहाय व्यक्तियों के दीवानी/आपराधिक/राजस्व के मामलों व अन्य विधिक वार्दों की पैरवी हेतु नियमानुसार अनिवार्य है।

उक्त हेतु ऐसे इच्छुक अधिवक्ता जिन्हें कम से कम तीन वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव प्राप्त हो वे अपने आवेदन पत्र निम्न प्रारूप में अपने समस्त अनुभव व शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ दि० 11 मार्च 2025 समय 04:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

-आवेदन का प्रारूप-

01. आवेदक का नाम-
02. पिता/पति का नाम-
03. स्थायी पता-
04. चैम्बर का पता-
05. रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक-
06. मोबाइल नं.-
07. विधि व्यवसाय की अवधि-
08. अनुभव क्षेत्र दीवानी/आपराधिक/राजस्व
09. क्या शासन द्वारा निर्धारित फीस पर कार्य करने के लिये सहमत हैं?
हां/नहीं।.....

दिनांक:-

आवेदक/ अधिवक्ता के हस्ताक्षर

नोट:- उपरोक्त पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति पूर्णतः अवैतनिक है व प्रदान किये गये विधिक कार्य एवं वाद के निस्तारण के आधार पर समीक्षा उपरान्त ही मानदेय के भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात।
2. समस्त बार एसोसियेशन, कानपुर देहात।
3. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु। -161
4. जनपद न्यायालय के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु। *कम्प्यूटर मनु मगर*
5. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जिला सेवायोजन अधिकारी, कानपुर देहात को विज्ञापन के प्रकाशन हेतु प्रेषित।

दिनांक:-12.02.2025

Suman Singh
अपर जिला जज/नामित सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कानपुर देहात।